वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचना

संख्या: *A-50013/1/2025-प्रशासन-IV*

भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

22020, कर्तव्य भवन-02

नई दिल्ली-*110001, दिनांक:27.10.2026*

सूचना

विषय: सूचना और प्रसारण मंत्रालय में विधिक सलाहकार की नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने के संबंध में।

इस मंत्रालय की समसंख्यक दिनांक 27.08.2026 एवं 25.09.2026 की सूचनाओं का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है, जिनके माध्यम से सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मुख्य सचिवालय में संविदा आधार पर 01 (एक) विधिक सलाहकार की नियुक्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे।

2. उक्त पद हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एतद्द्वारा एक माह अर्थात् दिनांक **26.11.2026** तक और बढ़ाया जाता है। जिन अभ्यर्थियों ने पहले ही अपने आवेदन प्रस्तुत कर दिए हैं, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। दिनांक 27.08.2026 की सूचना के अन्य सभी नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

3. इच्छुक अभ्यर्थी गूगल फ़ॉर्म लिंक (https://forms.gle/1eKohgcCfwEA3NXh8) के माध्यम से अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं:

4. मंत्रालय किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है तथा इसके लिए आवेदक को कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, आवेदकों को उल्लिखित आवश्यक दस्तावेजों के साथ **हितों के टकराव न होने संबंधी** शपथपत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

इवनीत

(इवनीत कौर)

अवर सचिव, भारत सरकार

एनआईसी: सूचना और प्रसारण मंत्रालय / पीसी सेल, मुख्य सचिवालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय [व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु उक्त सूचना को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।]

अनुलग्नक-I

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में विधिक सलाहकारों की नियुक्ति

क्रम संख्या	पद	पद की संख्या	अनिवार्य अर्हताएँ	अनुभव
1	विधिक सलाहकार	01	i. भारत या विदेश में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और/या संस्थान से एल.एल.बी. की डिग्री या समकक्ष डिग्री, जिसे भारतीय बार काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त हो। ii. अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार किसी राज्य बार काउंसिल/भारतीय बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण के लिए अर्ह हो।	सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए: केंद्र सरकार के किसी विभाग/मंत्रालय में सहायक विधिक सलाहकार/उप विधिक सलाहकार/समकक्ष विधिक सलाहकार पद पर कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को अभ्यर्थी की आयु 62 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अन्य अभ्यर्थियों के लिए: केंद्र सरकार के विभागों/मंत्रालयों में न्यूनतम पाँच वर्ष का अर्हता प्राप्ति-पश्चात अनुभव* होना चाहिए, जिसमें न्यायालयीन मामलों का कार्य देखना तथा विधिक परामर्श संबंधी कार्य का अनुभव शामिल हो। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को अभ्यर्थी की आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

* अनुभव निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि होगी।

अभ्यर्थी में उत्कृष्ट मौखिक एवं लिखित संचार तथा प्रस्तुतीकरण कौशल होना चाहिए। उसमें पहल करने की क्षमता, स्वप्रेरणा से कार्य करने की प्रवृत्ति तथा आत्मविश्वास होना चाहिए। अभ्यर्थी सत्यनिष्ठ,

अत्यधिक दक्ष, रचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण वाला तथा टीम के साथ कार्य करने में सक्षम होना चाहिए।

नियोजन की सामान्य नियम एवं शर्तों का संक्षिप्त विवरण

i. पारिश्रमिक :

क. सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए: पारिश्रमिक व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 3-25/2020-ई.III ए, दिनांक 09 दिसंबर, 2020 में निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार देय होगा।

ख. अन्य अभ्यर्थियों के लिए: ₹70,000/- (केवल सत्तर हजार रुपये) प्रतिमाह की समेकित राशि देय होगी।

ii. नियोजन की अवधि: परामर्शदाताओं को प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए नियोजित किया जाएगा। उनके कार्य-निष्पादन तथा मंत्रालय की आवश्यकता के आधार पर नियोजन की अवधि को अधिकतम तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा अथवा उसमें कटौती की जा सकेगी।

iii. भत्ते : महँगाई भत्ता, आवासीय टेलीफोन, परिवहन सुविधा/परिवहन भत्ता, मकान किराया भत्ता, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस), चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति आदि जैसे किसी भी प्रकार के भत्ते/सुविधाएँ देय नहीं होंगी।

iv. अवकाश : एक कैलेंडर वर्ष में 18 दिनों के अवकाश के अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश देय नहीं होगा। विधिक परामर्शदाता से अपेक्षा की जाएगी कि वह कार्यालय के सामान्य कार्य-समय के दौरान कार्यालय में उपस्थित रहे। अवकाश की पात्रता की गणना कार्यग्रहण की तिथि से आनुपातिक आधार पर की जाएगी। किसी कैलेंडर वर्ष में उपयोग न किए गए अवकाश को न तो अगले कैलेंडर वर्ष में आगे ले जाया जा सकेगा और न ही उसके बदले नकद भुगतान किया जाएगा।

v. त्यागपत्र/सेवा समाप्ति : अनुबंध को किसी भी पक्ष द्वारा, यथास्थिति, एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह के वेतन के भुगतान के बदले समाप्त किया जा सकेगा।

vi. यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता (टीए/डीए) :

क. सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए: सेवानिवृत्ति के समय उनकी पात्रता के अनुसार।

ख. अन्य अभ्यर्थियों के लिए: सरकारी कार्य के सिलसिले में देश के भीतर यात्रा हेतु, उप सचिव/निदेशक स्तर के किसी सेवारत अधिकारी पर लागू सामान्य नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय होगा।

vii. मुख्यालय : मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

ix. अन्य लाभ : कोई अन्य लाभ देय नहीं होगा।

x. विधिक परामर्शदाता नियोजन अवधि के दौरान तथा उसके पश्चात भी भारतीय शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 के प्रावधानों से आबद्ध होगा।

कार्य एवं दायित्वों का दायरा

विधिक परामर्शदाता से निम्नलिखित कार्यों/दायित्वों का निर्वहन करने की अपेक्षा की जाएगी :

क. मंत्रालय के समक्ष आने वाले विषयों पर विधिक राय देना। मंत्रालय के विरुद्ध दायर सभी मूल आवेदन (ओए), रिट याचिकाओं, विशेष अनुमति याचिकाओं (एसएलपी) तथा जनहित याचिकाओं (पीआईएल) पर पैरा-वार टिप्पणियाँ तैयार करना तथा सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत, प्रतिशपथपत्र तैयार करने हेतु उन्हें संबंधित स्थायी अधिवक्ता को अग्रेषित करना।

ख. अधिवक्ता से प्राप्त प्रतिशपथपत्र का पैरा-वार टिप्पणियों के संदर्भ में परीक्षण करना।

घ. समय-समय पर सौंपे जाने वाले अन्य विधिक प्रकृति के कार्यों का निष्पादन करना।

घ. मंत्रालय में लंबित न्यायालयीन मामलों का रजिस्टर संधारित करना।

ड. लंबित न्यायालयीन मामलों की निगरानी करना।

च. सुनवाई के दौरान न्यायालय में उपस्थित रहना।

छ. इसके अतिरिक्त, विधिक परामर्शदाता का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, वह किसी भी लंबित जाँच में अभियुक्त अधिकारी नहीं होना चाहिए तथा उसकी सत्यनिष्ठा निष्कलंक होनी चाहिए।

चयन प्रक्रिया

i. नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर किया जाएगा। इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदनों को आवेदकों के अनुभव एवं शैक्षणिक/व्यावसायिक अर्हताओं के आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा। विधिक परामर्शदाताओं का चयन शार्टलिस्ट की गई सूची में शामिल अभ्यर्थियों में से किया जाएगा। इस प्रयोजन हेतु मंत्रालय द्वारा एक जाँच-सह-चयन समिति का गठन किया जाएगा। समिति का निर्णय अंतिम एवं सभी संबंधितों के लिए बाध्यकारी होगा।

ii. इच्छुक अभ्यर्थी निम्नलिखित गूगल फॉर्म लिंक (https://forms.gle/sd4opJyuW96f3NJ98) के माध्यम से अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि इस विज्ञापन के जारी होने की तिथि से 30 दिन होगी।

iii. मंत्रालय को बिना कोई कारण बताए किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार होगा। इसके अतिरिक्त, आवेदकों को उपर्युक्त आवश्यक दस्तावेजों के साथ हितों के टकराव न होने (अनापत्ति) संबंधी शपथपत्र भी प्रस्तुत करना होगा।